राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांकः– F 7(1) आं. का./सहा. का. प्र./प्रशिक्षण/ICDS/17/33765 जयपुर दिनांक 22-2-18

कार्यालय आदेश

वर्ष 2017–18 के वार्षिक प्रशिक्षण कलैण्डर के तहत आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के **कार्य प्रशिक्षण** हेतु नामांकन आदेश जारी कर निर्देश दिये जाते है कि वे नामांकित संख्या में संबंधित आंगनबाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र पर **दिनांक 05.03.2018 से 05.04. 2018** तक प्रशिक्षण हेतु आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को भिजवाकर सूचित करें। इस संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें :–

1. गर्भवती एवं 6 माह के बच्चे की माता को प्रशिक्षण में नामांकित नही किया जावे।
2. प्रशिक्षणार्थी कार्यकर्ताओं के साथ 6 माह से 3 वर्ष तक का बच्चा साथ होगा तो प्रति बच्चा प्रतिदिन रू. 20/– आवास भोजन हेतु संस्था में जमा कराने होंगे। यदि साथ में महिला अटेन्डेन्ट हो तो रू. 150/– प्रति व्यक्ति के हिसाब से संस्था में जमा कराने होंगे। पुरूष अटेन्डेन्ट संस्था में नहीं रह सकेगे।
3. उन्हीं आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को कार्य प्रशिक्षण में भेजें। जिन्होंने पूर्व में कार्य प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो।
4. आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को यात्रा भत्ता (TA) का भुगतान आंगनबाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र पर ही किया जावेगा। इस हेतु मानेदयकर्मी अपना बैंक का नाम, बैंक शाखा, अकाउन्ट नम्बर, IFSC कोड आदि जानकारी केन्द्र को उपलब्ध करायें।
5. आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के आवास एवं भोजन की व्यवस्था आंगनबाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र पर ही उपलब्ध होगी।
6. सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपना परिचय–पत्र/पहचान पत्र (आधार कार्ड की प्रतिलिपि) साथ लेकर जावें तथा प्रशिक्षण में सम्मिलित नही होने पर उनको हटाने के लिये कार्यवाही की जावेगी।
7. सम्बन्धित उप निदेशक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र को परियोजनावार नामांकन सूचना सम्बन्धित आदेश प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ होने के न्यूनतम तीन दिवस पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. कार्य प्रशिक्षण हेतु नामांकित कार्यकर्ता यदि वांछित संख्या में नहीं पहुचती है तो AWTC प्राचार्य सम्बधित जिलों से या निकटवर्ती जिलों से सम्पर्क कर प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध योग्य कार्यकर्ता नामांकित करे ताकि प्रशिक्षण सत्र पूर्ण हो सके व अधिकतम कार्यकर्ताओं कार्य प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। नवीन नामांकित कार्यकर्ताओं की सूचना निदेशालय अनिवार्यतः प्रेषित करें।
9. सम्बन्धित आंगनबाड़ी कार्गकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र प्रशिक्षण संबंधी आदेश प्राप्त न होने की स्थिति में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ होने से न्यूनतम 2 दिवस पूर्व उपनिदेशक कार्यालय एवं निदेशालय सूचना देवें, ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रम में मानदेय कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकें।

उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः– F 7(1) आं. का./सहा. का. प्र./प्रशिक्षण/ICDS/17/33766-774 जयपुर दिनांक 22-2-18

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्राचार्य, आंगनबाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण ....
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् ....
3. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग ....
4. लेखा प्रशाखा, मुख्यालय, जयपुर
5. उपनिदेशक/एसीपी, कम्प्यूटर सेल को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।

उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ, विभागीय वैबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in
फैक्स नम्बर 0141–2700281, 2705638 दूरभाष नम्बर 0141–2713639
प्रशिक्षण शाखा ईमेल–आईडीः– ddt.icds@gmail.com

आंगनबाडी कार्यकर्ताओं का कार्य प्रशिक्षण नामांकन दिनांक 05.03.2018 से 05.04.2018 तक

क्र. सं.	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र	दिनांक	जिले का नाम–नामांकन संख्या	कुल नामांकन संख्या
1.	मीरा संस्थान, बख्तावरमल जी का बाग, जोधपुर (प्रथम यूनिट)	05.03.18 से 05.04.18	जैसलमेर – 15 बाड़मेर – 20	35
2.	आर्य विद्यापीठ, भुसावर (भरतपुर)	05.03.18 से 05.04.18	करौली – 20 भरतपुर – 10 अलवर – 05	35